

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प.18(2) गृह-10/2016

जयपुर, दिनांक 07.08.2020

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2018-19, 2019-2020 एवं 2020-21 की रिक्तियों के लिए पदोन्नति देने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित सहायक निदेशक अभियोजन को उप निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों पर वेतन श्रृंखला (15600-39100) ग्रेड पे-(19) 7200/- **Pay Matrix L-18 in Revised Pay Rules 2017** में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1998) में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति का लाभ रिक्ति की दिनांक से एवं नकद लाभ उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा -

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री संतोष कुमार विजय	सामान्य वर्ग	2018-19	04.03.2019
2.	श्री विष्णु शंकर माथुर	सामान्य वर्ग	2019-20	01.09.2019
3.	श्री रामकेश मीणा	अ0ज0जा0 (सामान्य वर्ग के विरुद्ध)	2020-21	01.04.2020
4.	श्री मोह0 आबिद शेरवानी	सामान्य वर्ग	2020-21	01.08.2020

उक्त अधिकारीगण के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार सैनी)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली
9. रक्षित, पत्रावली

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर